बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

Registered Email

अधिसूचना

श्री योगेन्द्र शर्मा, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, सुपौल (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सुपौल छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता, वित्तीय अनियमितता, सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण में वित्तीय अनियमितता एवं अन्य संबंधी आरोप प्रपत्र 'क' प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदित प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–712 दिनांक–25.04.2014 द्वारा श्री योगेन्द्र शर्मा, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, सुपौल के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के अधीन जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, सुपौल को उपस्थापन पदाधिकारी घोषित किया गया।

2. उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा–सह– संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही संपादित कर अपने पत्रांक–622 दिनांक–18.09.15 द्वारा जॉच प्रतिवेदन/अभिमत उपलब्ध कराया।

3. जॉच प्रतिवेदन/अभिमत में प्रमाणित आरोपों के आलोक में श्री योगेन्द्र शर्मा, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, सुपौल से विभागीय पत्रांक –2280 दिनांक –23.11.2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। द्वितीय कारण पृच्छा अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक –2649 दिनांक–31.12.2015 द्वारा स्मारित किया गया। श्री शर्मा द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–25.01.16 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा उपलब्ध कराया गया।

4. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी के द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत आरोप के कतिपय बिन्दुओं पर पुनः जाँच की आवश्यकता महसूस की गयी एवं जाँच प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक–1501 दिनांक–30.05.2016 द्वारा सुस्पष्ट एवं साक्ष्य सहित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु वापस किया गया।

5. उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा–सह– संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–191 दिनांक–15.07.16 द्वारा जॉच संशोधित जाँच प्रतिवेदन/अभिमत उपलब्ध कराया। जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी को दोषी पाया गया।

6. विभागीय संकल्प सं0–2142 दिनांक–08.08.2016 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही संकल्प सं0–712 दिनांक–25.04.2014 को औपचारिक रूप से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में परिवर्तित किया गया।

7. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के अधिगम में प्रमाणित आरोपों एवं श्री शर्मा के द्वितीय कारण पृच्छा के सम्यक् समीक्षोपरांत श्री योगेन्द्र शर्मा, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, सुपौल (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को प्रतिवेदित आरोपों के लिये दोषी पाया गया एवं श्री शर्मा को देय पेंशन की राशि में से 10 प्रतिशत प्रति माह की दर से 10 वर्षों तक कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

8. इस आदेश की प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2जी/(आरोप) अजा0 अजजा0–02/2014– 2062 **पटना, दिनांक**– 18.8.17

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार बिहार, पटना ।

2– संचालन पदाधिकारी–सह– उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा ।

3– उपस्थापन पदाधिकारी–सह– जिला कल्याण पदाधिकारी, सुपौल ।

4– जिला पदाधिकारी, सुपौल ।

5–जिला कोषागार पदाधिकारी, गया।

6–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना।

7–संयुक्त सचिव (स्थापना) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

8–उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक–940 दिनांक–24.07.2017 के आलोक में।

9–माननीय मंत्री अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के आप्त सचिव।

10–श्री योगेन्द्र शर्मा, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, सुपौल (सम्प्रति सेवानिवृत्त) स्थायी पता–मुहल्ला–दुलहिन बाजार, पो0–बड़ा डाकघर गया, थाना–कोतवाली, जिला– गया, पिन–823001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2जी/(आरोप) अजा0 अजजा0–02/2014 2062 **पटना, दिनांक**– 18.8.17

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।